मई (2010)

III. निवारक कार्रवाई

1. संगठनों में भेद्यताओं, नीतियों तथा ऐसी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां जो भ्रष्टाचार का खतरा उत्पन्न करती हैं, के बारे में संगठनों को सतर्क करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर परामर्श जारी किए गए हैं ।

i) आयोग ने दिनांक 19.05.2010 के कार्यालय आदेश सं0 19/05/10 द्वारा आयोग के दिनांक 09.05.2006 के पिछले परिपत्र सं0 15/5/06 के पैरा 2 के उप पैरा (i) में संशोधन किया जो नामांकन आधार पर प्रदान किए गए कार्य/खरीद/परामर्श ठेकों में पारदर्शिता के संबंध में है ।

ii) आयोग ने दिनांक 19.05.2010 के कार्यालय आदेश सं0 20/05/10 द्वारा सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अनुदेश जारी किए थे कि अन्वेषण किए जाने के लिए तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए भेजी गई शिकायतों के अन्वेषण करने के लिए समय सीमा का सख्ती से पालन करें ।

iii) आयोग ने दिनांक 05.05.2010 की सं0 010/वीजीएल/008 द्वारा सचिवों आदि के विरूद्ध शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए समिति का गठन करने के संबंध में भारत सरकार के परिपत्र पर स्पष्टीकरण जारी किया था ।

संख्या-005/सी.आर.डी./19(पार्ट)
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2010

<u>कार्यालय आदेश सं0 19/05/10</u>

विषय: नामांकन आधार पर प्रदान किए गए कार्य/खरीद/परामर्श ठेकों में पारदर्शिता ।

आयोग ने दिनांक 09/05/2006 के परिपत्र सं0 15/5/06 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामांकन आधार पर प्रदान किए गए कार्य/खरीद/परामर्श ठेकों में अनुपालन किए जाने के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए थे । इन अनुदेशों का आयोग में पुनरीक्षण किया गया है तथा आयोग का यह दृष्टिकोण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बोर्ड को, परिचालन प्रबंधकों की कार्रवाईयों तथा नामांकन आधार पर कार्य प्रदान करने के उनके निर्णयों की संवीक्षा अथवा कार्योतर पुनरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है ।

2. अत:, आयोग के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 2 के उप-पैरा (i) में निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है:-

"नामांकन आधार पर प्रदान किए गए सभी कार्य, संवीक्षा तथा कार्योतर पुनरीक्षण के लिए संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड के ध्यान में लाए जाएं"

ऐसे पढ़ा जाए

"नामांकन आधार पर प्रदान किए गए सभी कार्यों को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड के ध्यान में सूचना के लिए लाया जाए"

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

<u>केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी</u>

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. संगठनों के सभी सीईओ/अध्यक्ष

संख्या-002/वी.जी.एल/61
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
दिनांक : 19.05.2010

कार्यालय आदेश सं0 20/05/10

विषय: शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए समय सीमा का पालन ।

संदर्भ: (i) आयोग कादिनांक 01.04.2004 का कार्यालय आदेश सं0 16/03/04
(ii) आयोग कादिनांक 27.02.2009 का कार्यालय आदेश सं0 4/2/09
(iii) आयोग कादिनांक 12.05.2009 का कार्यालय आदेश सं0 9/5/09

सतर्कता मैनुअल भाग-1 (छठा संस्करण - 2004) के अध्याय IV के पैरा 4.13.1 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार, अन्वेषण किए जाने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों पर, संगठनों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है । लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण शिकायतों के मामले में, आयोग ने अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक माह की अवधि निर्धारित की है ।

2. आयोग ने देखा है कि संगठन/विभाग निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तथा अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अनुचित विलंब होता है । रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बल देते समय, यदि उल्लिखित अवधि के भीतर अन्वेषण समाप्त करना संभव नहीं है तो, संबंधित संगठन/विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी स्वंय मामले को देखें तथा प्रत्येक मामले में अन्वेषण की प्रगति तथा विलंब के कारणों को सूचित करते हुए, समय सीमा का विस्तार मांगने के लिए आयोग को एक अंतरिम उत्तर/रिपोर्ट आवश्यक रूप से भेजें ।

3. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सेवा में
सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

010/वीजीएल/008
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन
जी.पी.ओ. काम्प्लैक्स, ब्लाक-ए
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
दिनांक : 05 मई, 2010

विषय : सचिवों आदि के विरूद्ध शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए समितियों के गठन से संबंधित भारत सरकार का हाल ही का परिपत्र - केन्द्रीय सतर्कता आयोग का स्पष्टीकरण ।

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 14.1.2010 को परिपत्र सं0 104/1002009-एवीडी.1 जारी किया है जिसमें भारत सरकार के सचिवों के विरूद्ध शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए एक समिति का गठन किया है ।

- सार्वजनिक उद्यम विभाग ने दिनांक 11 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं0 15(1)/2010-डीपीई (जीएम) द्वारा समरूप परिपत्र जारी किया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों के विरूद्ध शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए एक समिति का गठन किया है ।

- प्रैस में हाल ही में एक मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि ये परिपत्र
  - क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियों को कम करते हैं
  - ख) सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निश्चित श्रेणी के अधिकारियों को सुरक्षा का उपाय प्रदान करता है ।

- यह स्पष्ट किया जाता है कि

  - क) यह गठित समति केवल केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा केबिनेट सचिव को संदर्भित शिकायतों में जांच कर सकती है ।

  - ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे वर्गीकृत अधिकारियों के विरूद्ध सभी शिकायतें उक्त समिति को भेजे ।

  - ग) समिति के गठन के पहले से ही यह प्रथा रही है कि भारत सरकार के सचिवों के विरूद्ध शिकायतें आयोग, केबिनेट सचिव को भेजता रहा है । उसी तरह से, सार्वजनिक उपक्रमों तथा बैंकों के सी.एम.डी. तथा कार्यात्मक निदेशकों के विरूद्ध शिकायतें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजी जाती थीं ।

  - घ) आयोग से प्राप्त ऐसी शिकायतें, उन प्राधिकारियों द्वारा जांच की जानी होती हैं जिन्हें इन्हें भेजा गया था तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करके आयोग से सलाह लेनी होती है ।